

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)  
क्रमांक:प.8(ग)(106)नियम/डीएलबी/22/12277-569 दिनांक 5/9/24

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ,  
समस्त राजस्थान।

विषय:- पशुवध गृह/मांस मछली की दुकाने बंद करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैन धर्म के पशुवध एवं दशलक्षण पर्व को पृथिगत रखते हुए निम्न तिथि को राज्य के सभी बूचडखाने एवं मांस मछली की दुकाने बंद रखी जावें।

पर्व	दिनांक	वार
पशुवध पर्व एवं संवत्सरी	08.09.2024	रविवार
अनन्त चतुर्दशी	17.09.2024	मंगलवार

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(106)नियम/डीएलबी/22/12569-975 दिनांक 5/9/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक समस्त राजस्थान।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
7. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन करवाने हेतु।
8. प्रभारी, मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Signature valid

RajKaj Ref  
10260353



Digitally signed by Suresh Kumar  
Ola  
Designation: Director  
Date: 2024.09.05 16:51:53 IST  
Reason: Approved